

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर  
नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस.  
राजस्व आवेदन संख्या :- 694 / 2024

प्रार्थीगण  
1. श्रीमती सिणगारीदेवी पत्नी  
चिमाराम जाति जाट निवासी  
रुगोणियों का तला, भीमडा तहसील  
बाटाडू व जिला बाड़मेर

अप्रार्थीगण  
1 जमना पत्नी हरखाराम जाति जाट निवासी  
गोरधन नगर, हुडो की ढाणी तहसील बाटाडू  
व जिला बाड़मेर 2. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान  
मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा भीमडा 3. शाखा  
प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा कवास 4.  
तहसीलदार बाटाडू जिला बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 RLR Act.

उपस्थिति :-

1. श्री मनोज पारीक अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री कैलाश कुमार अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 01

आदेश

दिनांक 01.12.2025

संक्षिप्त में प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी के खातेदारी व कब्जा काशत का खेत मौजा गोरधन नगर पटवार हल्का हुडो की ढाणी तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 484 / 291 रकबा 7.7664 हैक्टेयर का आया हुआ है जो भूमि प्रार्थीनी के कब्जे काशत की भूमि है, जिस पर प्रार्थीनी की रहवासी ढाणी, टांके, लाटा, ट्यूबवैल आदि बने हुए हैं। प्रार्थीनी द्वारा उक्त भूमि विप्रार्थी संख्या 01 से खरीद की गई है। प्रार्थीनी के सेढासेढ ही विप्रार्थी संख्या 01 का खसरा संख्या 291 / 312 रकबा 8.7777 हैक्टेयर मौजा गोरधन नगर में आया हुआ है। प्रार्थीनी व विप्रार्थी संख्या 1 के खेत मूल खसरा संख्या 291 के ही भाग थे किन्तु भूमि का विभाजन होने से बट्टा नम्बर अंकित किए गए हैं। प्रार्थीनी व विप्रार्थी संख्या 1 के खेतों के बीच तरमीम की गई है परन्तु लटठा ट्रेस में की गई तरमीम व मौके पर मौजूद कब्जा काशत में भारी भिन्नता है। प्रार्थी का मौके पर कब्जा काशत संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये अनुसार हैं तथा इसी अनुसार राजस्व कार्मिकों द्वारा तरमीम की जानी थी परन्तु राजस्व अधिकारियों ने मौके पर न जाकर तथा मौके की जांच किए बिना गलत तरमीम कर दी है, जिसे प्रार्थीनी दुरस्त करवाने की विधिक अधिकारी हैं अतः प्रार्थीनी के खातेदारी व कब्जा काशत का खेत मौजा गोरधन नगर पटवार हल्का हुडो की ढाणी तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 484 / 291 रकबा 7.7664 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम को निरस्त कर प्रार्थीनी के कब्जे-काशत अनुसार संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने का आदेश करावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता उपस्थित है, शेष अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त होने एवं उनके उपस्थित होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई। प्रकरण में विप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा जवाब पेश किया गया है कि प्रार्थीनी व विप्रार्थी संख्या 01 के खेतों के बीच जो

उप खण्ड अधिकारी  
बाड़मेर

करवाने का प्रार्थनी को अधिकार है प्रार्थनी व विप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी की भूमि की तरमीम संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाये बरंग लाल के अनुसार की जावे। विप्रार्थी संख्या 01 का कब्जा काश्त संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाये बरंग हरा अनुसार है इसलिए प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 मौके पर कब्जा काश्त अनुसार लट्ठा ट्रेस में तरमीम करवाने चाहते हैं। प्रार्थनी के खेत मौजा गोरधन नगर पटवार क्षेत्र हुडों की ढाणी तहसील बाटाडू जिला बाडमेर में खसरा नंबर 484/291 रकबा 7.7664 हैक्टेयर व विप्रार्थी संख्या 1 का खसरा नंबर 291/312 रकबा 8.7777 हैक्टेयर मौजा गोरधन नगर पटवार क्षेत्र हुडों की ढाणी तहसील बाटाडू जिला बाडमेर की लट्ठा ट्रेस में की गई अशुद्ध व गलत तरमीम को दुरस्त कर मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार लट्ठा ट्रेस सही तरमीम संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार दुरस्त की जावे। प्रकरण में तहसीलदार बाटाडू से मौका व रेकर्ड की रिपोर्ट तलब की गई।

प्रकरण में तहसीलदार बाटाडू द्वारा मौका रिपोर्ट अपने पत्रांक भूअ./2025/901 दिनांक 14.08.2025 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि ग्राम गोरधन नगर पटवार मण्डल हुडों की ढाणी के खसरा नंबर 484/291 रकबा 7.7664 हैक्टेयर एवं विप्रार्थी के खसरा नंबर 291/312 रकबा 8.7777 हैक्टे. भूमि की मौके पर प्रार्थीगण/विप्रार्थीगण की उपस्थिति में कब्जा-काश्त व राजस्व रेकर्ड (नक्शा लट्ठा ट्रेस) में भिन्नता है, वर्तमान राजस्व रेकर्ड में तरमीम संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है जिसे संलग्न परिशिष्ट "ब" के अनुसार अनुसार दुरस्त किया जाना उचित है। उक्त प्रस्तावित तरमीम अनुसार दोनों खातेदारों की ढाणियां, ट्यूबवैल व टांके आये हुए हैं।

उक्त मौका रिपोर्ट पर वकील प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 को सुना गया। उभय पक्षकरान मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट "ब" के अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने पर सहमत है कि ग्राम गोरधन नगर पटवार मण्डल हुडों की ढाणी के खसरा नंबर 484/291 रकबा 7.7664 हैक्टेयर एवं विप्रार्थी के खसरा नंबर 291/312 रकबा 8.7777 हैक्टे. भूमि की मौके पर कब्जा-काश्त व राजस्व रेकर्ड (नक्शा लट्ठा ट्रेस) में भिन्नता है, वर्तमान राजस्व रेकर्ड में तरमीम संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है जिसे संलग्न परिशिष्ट "ब" के अनुसार अनुसार दुरस्त करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत्, नक्शों, एवं संलग्न परिशिष्टों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तहसीलदार बाडमेर की मौका रिपोर्ट के परीप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाकर मौजा गोरधन नगर पटवार हल्का हुडो की ढाणी तहसील बाटाडू व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 484/291 रकबा 7.7664 हैक्टेयर व खसरा संख्या 291/312 रकबा 8.7777 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम जो तहसीलदार बाटाडू द्वारा पेश मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है को निरस्त कर संलग्न परिशिष्ट "ब" के अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम दुरुस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तहसीलदार बाटाडू की मौका रिपोर्ट के परीप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाकर मौजा गोरधन नगर पटवार हल्का हुडो की ढाणी तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 484/291 रकबा 7.7664 हैक्टेयर व खसरा संख्या 291/312 रकबा 8.7777 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम जो तहसीलदार बाटाडू द्वारा पेश मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है को निरस्त कर संलग्न परिशिष्ट "ब" के अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम दुरुस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाटाडू तदनुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट "ब" आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी

(SDO) बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 01.12.2025 को सरें ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
(SDO) बाड़मेर  
बाड़मेर